




न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(रांची)

आदेश पत्रक

T.P

आदेश संख्या

नाम सुनिका मुण्डू बौरुड

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्यवाही
	<p>अगिलेख सं०-एम...7.0.../2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रमारी <u>बुण्डू</u> के अप्राथमिकी सं०-20/18 दिनांक-25.05.18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि द्वितीय पक्ष के द्वारा ग्राम लोहासुरना एवं शामसारा के ग्रामीणों को बडला फूसला कर पथलगडी करने के लिए योजना बनाया जा रहा है।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(रांची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अगिलेख तिथि <u>04-06-18</u> को उपस्थापित करें।</p> <p>लेखापित एवं संश्लेषित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> </div> <p align="center" style="font-size: 1.2em; margin-top: 20px;"> अभिलेख उपस्थापित । दिनांक 18-06-18 को रखे । उपस्थापित । दिनांक 18-06-18 को रखे । की दिनांक 18-06-18 को रखे । </p> <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>	

04-06-18

आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर

7-12-18

आमि लैरहा उपन्यापित दितीर पह
कमांक 05 उपन्यापित अन्य उपन्यापित ।
उक्त वाद के 6 (छः) माह की अवधि
पूर्ण है इसी हे कारणत वाद कालबाधित
हो गया है अतः वाद के आमि लैरहा की
कारवाही बन्द की जाती है।


07/12/18